राजस्थान सरकार
वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग

क्रमांकः एफ 7(5)वित्त/एस.पी.एफ.सी/2013 दिनांक 13.05.2020

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.09.2016 के द्वारा समस्त उपापन संस्थाओं को RTPP Act, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपापन से सम्बन्धित समस्त अपेक्षित आवश्यक सूचनाओं/आदेशों प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर आवश्यक रूप से किये जाने बाबत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

परन्तु व्यवहार में यह पाया गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा अभी तक भी पोर्टल पर बोली आमंत्रण सूचनाओं (NIB) एवं बोली दस्तावेजों (Bid Document) का ही प्रकाशन किया जा रहा है तथा उपापन से सम्बन्धित अन्य समस्त आवश्यक सूचनाओं/आदेशों जैसे कि RTPP Rule 57(1)(i) के अनुसार तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के परिणाम, वित्तीय मूल्यांकन का परिणाम एवं नियम 71 के अनुसार संविदा के अधिनिर्णय की सूचना (Work Order) आदि का पोर्टल पर प्रकाशन नहीं किया जा रहा है, जो कि एक गम्भीर विषय है।

SPPP से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में वर्ष 2017—18 से वर्ष 2019—20 से संबंधित उपापनों के संबंध में अपलोड किए जाने योग्य बकाया अभिलेखों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्रम संख्या	वर्ष	कुल प्रकाशित बोलीयां	बकाया तकनीकी चार्ट का विवरण	बकाया वित्तीय चार्ट का विवरण	बकाया कार्यादेश का विवरण
1	2017—18	104667	90460	92768	96014
2	2018—19	115257	102728	104362	107408
3	2019—20	106062	95915	97196	100339

इससे स्पष्ट होता है कि उपापन संस्थाओं द्वारा राज्य लोक उपापन में अपेक्षित पारदर्शिता का पालन नही किया जा रहा है, जिससे कि RTPP Act, 2012 एवं RTPP नियम, 2013 के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ही प्रश्नचिन्ह् उत्पन्न हो जाता है। उपरोक्त स्थिति को राज्य सरकार द्वारा बहुत ही गम्भीरता से लिया गया है। अतः सभी उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तालिका के अनुसार उपापन से सम्बन्धित बकाया अभिलेखों को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवश्यक (mandatory) रूप से यथाशीघ्र

प्रकाशित करवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा निर्देशों की पालना के उपरान्त की गयी कार्यवाही से इस विभाग को भी सूचित करावे। साथ ही भविष्य में किये जाने वाले उपापनों के संबंध में भी उक्त निर्देशों की पालना की जावें।

उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावें।

13/5/20

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव
वित्त (बजट) विभाग

क्रमांकः एफ 7(5)वित्त/एस.पी.एफ.सी/2013 **दिनांक** 13.05.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग को उनके अधीनस्थ अंकेक्षण दलों द्वारा इन निर्देशों की पालनार्थ।
9. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
10. प्रधान महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यक लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त उपापन संस्थाओं को इस परिपत्र की प्रति प्रेषित करा कर इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
12. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. तकनीकी निदेशक (computer cell), वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (जी एण्ड टी) विभाग